न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 03, बागपत।
उपस्थित: सियाराम चौरसिया (एच.जे.एस.) J.O.Code U.P. UP6384
अग्रिम जमानत प्रार्थनात्र/944/2026

UPBG010026512026

1–सहदेव पुत्र धर्मवीर
2– रजत पुत्र सहदेव
3– श्रीमती चंचल पत्नी संदीप तोमर उर्फ बोबी
4– अभिजीत पुत्र संदीप तोमर, निवासीगण ग्राम सूप थाना रमाला जिला बागपत।

... ...अभियुक्त।

बनाम

2– उ०प्र० राज्य ... ...विपक्षी।

मु०अ०सं०–47/2026
धाराः –351(3), 352, 318(4)भा०दं०सं०
थानाः रमाला, जिलाः बागपत।

दिनांक 03.06.2026

1. अभियुक्तगण **सहदेव पुत्र धर्मवीर, रजत पुत्र सहदेव, श्रीमती चंचल पत्नी संदीप तोमर उर्फ बोबी अभिजीत पुत्र संदीप तोमर** द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं०–47/2026 धाराः –351(3), 352, 318(4)भा०दं०सं० थानाः रमाला, जिलाः बागपत में प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. प्रश्नगत मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि यह कि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण निर्दोष है उन्हे उपरोक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। वादी मुकदमा एक जालसाज व्यक्ति है जो कि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के परिवार को गत दो वर्षों से अनेक–अनेक तरीके से अलग अलग न्यायालयों व पुलिस कार्यालय मे गलत परिवाद व प्रार्थना पत्र के आधार पर परेशान कर रहा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ग्राम सूप मे स्थायी रूप से नही रहते है। उनका पता म०नं० 39 गली नं० 1 दुर्गापुरी विस्तार, मण्डौली, थाना ज्योतिनगर शाहदरा दिल्ली–93 वादी मुकदमा ने प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का पता ग्राम सूप को थाना रमाला जिला बागपत के क्षेत्राधिकार में होने के कारण अंकित कराया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है और फिर भी थाना रमाला की पुलिस वादी मुकदमा से मिलकर प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहती है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण ने इस मुकदमें में गिरफ्तारी की आंशका से प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 8/4/2026 दिनांक 04–05–2026 को मान्य न्यायालय मे योजित किया था जिस पर विवेचक के प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को गिरफ्तार न करने के आश्वासन पर प्रार्थीगण / अभियुक्तगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पर बल नही दिया था तथा वह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त हो गया था। पूर्व अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बिना गुण व दोष निरस्त होने के उपरान्त विवेचक प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को वादी के प्रभाव में आकर गिरफ्तार करना चाहता है जिससे प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को हानि हो रही है तथा उन्हे पुनः गिरफ्तारी की आंशका बन गयी

Digitally signed by SIYARAM CHAURASIA
Date: 2026.06.03 15:35:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है। प्रार्थी/अभियुक्त के जिला कारागार मे निरूद्ध रहने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लेने से उनका भविष्य खराब होने की प्रबल सम्भावना है। प्रार्थी / अभियुक्त के भागने, फरार होने अथवा अभियोजन साक्ष्यं के साथ कोई छेडछाड करने / धमकाने की कोई सम्भावना किसी प्रकार की नहीं है और ना ही प्रार्थी/ अभियुक्त अभियोजन गवाहान को किसी भी प्रकार से धमकायेगा अथवा डरायेगा।

3. प्रश्नगत मामले में अभियोजन कथानक संक्षेप निम्नवत है कि वादी मुकदमा का पूर्व परिचित संदीप तोमर उर्फ बोबी पुत्र सहदेव सिहं तोमर निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत बहुत ही दिखावे वाला व्यक्ति है, जो जब भी किसी सामाजिक कार्यक्रम में मिलता है तभी बताता है कि उसकी सब जगह जान पहचान है और जो कुछ भी आप कराना चाहोगे, वही करवा देगा, उसकी बहुत पहचान है, वह सरकारी नौकरी लगवा देगा और विपक्षी द्वारा बार बार नौकरी की बात कहने पर प्रार्थी ने पूछा कि आप नौकरी लगवा देगें तो विपक्षी ने आश्वासन दिया कि वह डी एस एस एस बी में नौकरी लगवा देगा। अभी उसने अपने भाई की नौकरी लगवायी है जिस पर विश्वास कर प्रार्थी ने अपने बेटे प्रविन्द्र की नौकरी लगवाने की बात की। जिसका विपक्षी ने पूर्ण आश्वासन दिया और यकीन दिलाने के लिये पिता सहदेव, भाई रजत, पत्नी चचंल तोमर, बेटा अभिजीत से बात करायी, जिन्होने प्रार्थी को विश्वास दिलाया कि आप आरंभ में 12 लाख रूपये दो, बाकि रूपये बाद में दे देना, जिस पर विश्वास कर प्रार्थी ने अपने मित्र इकबाल सिंह मलिक से रुपये उधार लिये थे जिसने एफ डी तुडवाकर आठ लाख रुपये दिल्ली में दिनांक 08.02.2024 को व चार लाख रूपये दिनांक 06.04.2024 को ग्राम सूप थाना रमाला जिला बागपत में 12 लाख रूपये दे दिये और दो माह में नौकरी लगवाने का विश्वास दिलाया, लेकिन विपक्षी अपनी बात से मुकर गया और नौकरी के लिये 35 लाख रुपये की मांग करने लगा, जब प्रार्थी ने असमर्थता जतायी तो विपक्षी ने सम्पत्ति पर लोन कराने का झांसा दिया और कहा कि पूर्व दिये गये रुपयो, 82 लाख रुपये का लोन लगाने में खर्च हो जायेगे। लेकिन विपक्षी ने न तो आज तक कोई लोन कराया और ना ही नौकरी लगवायी और न ही प्रार्थी का 12 लाख रूपये वापस लौटाया प्रार्थी ने विपक्षी संदीप व उसके परिवार के अन्य विपक्षीगणो से 12 लाख रूपये का तकाजा कई बार किया किन्तु विपक्षीगण प्रार्थी को बहकाते रहते जिसकी रिकार्डिंग भी है किन्तु दिनांक 11.07.2024 को प्रार्थी व उसकी पत्नी सुनीता ने तकाजा किया तो समस्त विपक्षीगण ने रुपया लौटाने से से मना कर दिया और मारपीट पर उतारू हो गये और गाली गलौच करते हुवे जान से मारने की धमकी देते हुवे कहा कि हमने तुमसे धोखाधड़ी करके रुपये लिये है आईन्दा मत आना जिस पर प्रार्थी व उसकी पत्नी किसी तरह विपक्षीगण से जान बचाकर आ गये और विपक्षीगणो के व्यवहार से अत्याधिक भयभीत है।

4. प्रश्नगत मामले में पत्रावली व वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के बेटे प्रविन्द को डी एस एस एस बी में नौकरी लगवाने के नाम पर रूपये की मांग की गयी उक्त के अनुक्रम में वादी मकुदमा द्वारा आठ लाख रुपये दिल्ली में दिनांक 08.02.2024 को व चार लाख रूपये दिनांक 06.04.2024 को ग्राम सूप थाना रमाला जिला बागपत में दिया गया इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा नौकरी के आश्वासन के आधार पर वादी मुकदमा को उत्प्रेरित कर 12 लाख रूपये प्राप्त कर लिया गया। सम्प्रति समान मे नौकरी का आश्वासन देकर बेईमानी से उत्प्रेरित कर पैसा प्राप्त करने का अपराध बढता चला जा रहा है। प्रश्नगत मामले मे अभी विवेचना प्रचलित है। अग्रिम जमानत के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हेमंत कुमार उर्फ हेमंत कुमार सारस्वत बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. अन्य, क्रिमीनल मिसलिनीयस वेल नम्बर 438 CrPC 18604/2021 निर्णय दिनांकित 21.12.21 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि Anticipatory bail being an extra–ordinary remedy, should, be resorted to only in a special

case, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Chidambaram V. Directorate of Enforcement (2009) 9 SCC 24, में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि The power under Section 438 Cr.P.C. 1973 is an extraordinary power and the same was to be exercised sparingly, it is also held that privilege of the pre–arrest bail should be granted only in exceptional cases, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Jai Prakash Singh vs State of Bihar & Anr, etc on 14 March, 2012 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि Anticipatory bail can be granted only in exceptional circumstances where the court is prima facie of the view that the applicant has falsely been enroped in the crime and would not misuse his liberty.

5. प्रश्नगत मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों व उपर्युक्त विवेचना विश्लेषण तथा पंत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रश्नगत मामले में प्रार्थी / अभियुक्तगण को अपराध में झूठा आलिप्त किया जाना दर्शित नहीं तथा गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से भी अभियोग लगाया जाना भी दर्शित नहीं है। ऐसी दशा में प्रश्नगत मामले में अग्रिम जमानत प्रदत्त किया जाना विधिसंगत नहीं है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

6. तदनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सहदेव पुत्र धर्मवीर, रजत पुत्र सहदेव, श्रीमती चंचल पत्नी संदीप तोमर उर्फ बोबी अभिजीत पुत्र संदीप तोमर** द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं०–47/2026 धाराः –351(3), 352, 318(4)भा०दं०सं० थानाः रमाला, जिलाः बागपत, निरस्त किया जाता है।

(सियाराम चौरसिया)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–03, बागपत।